निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 अग्रहायण 1938 (श0)
(सं0 पटना 1036) पटना, वृहस्पतिवार, 8 दिसम्बर 2016

सं0 08/आरोप–01–313/2014,सा०प्र०—13611
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
5 अक्तूबर 2016

श्री उमेश कुमार वर्मा, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–144/08, 23/11, तत्कालीन उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, अररिया (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध हाई मास्ट लाईट के अधिष्ठापन में अनियमितता बरतने से संबंधित जिला पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक–1431, दिनांक 28.10.2014 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों (प्रपत्र 'क' सहित) पर ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–209386, दिनांक 21.11.2014 प्राप्त हुआ। जिसमें श्री वर्मा के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी। मामले की संवेदनशीलता के मद्देनजर विभागीय स्तर पर आरोप, प्रपत्र 'क' गठित करते हुए श्री वर्मा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की जाँच हेतु संकल्प ज्ञापांक–17963, दिनांक 29.12.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. कालान्तर में श्री वर्मा के सेवानिवृत्ति (दिनांक 31.12.2014) के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–412, दिनांक 09.01.2015 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी०) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

3. इसके उपरांत ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त आरोप, प्रपत्र 'क' में निहित गबन के मामले में कतिपय बिन्दुओं पर विभागीय पत्रांक–914, दिनांक 20.01.2015 द्वारा जिला पदाधिकारी, अररिया से कतिपय बिन्दुओं पर विस्तृत सूचना की माँग की गयी जिसके क्रम में जिला पदाधिकारी, अररिया का प्रतिवेदन (पत्रांक–151, दिनांक 07.02.2015) ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–994 (अनु०) दिनांक 07.04.2015 द्वारा प्राप्त हुआ।

आरोपों की समेकित जाँच हेतु जिला पदाधिकारी, अररिया के उक्त प्रतिवेदन (पत्रांक–151, दिनांक 07.02.2015) की छायाप्रति विभागीय पत्रांक–6233, दिनांक 28.04.2015 द्वारा संचालन पदाधिकारी को उपलब्ध करायी गयी।

4. विभागीय जाँच आयुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी, पटना के पत्रांक–44 (अनु०) दिनांक 29.01.2016 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना ने आरोप संख्या–1,2,3 एवं 5 को प्रमाणित, आरोप संख्या 4 को आंशिक रूप से प्रमाणित एवं आरोप संख्या–6 को अप्रमाणित बताया।

विभागीय पत्रांक–2183, दिनांक 11.02.2016 द्वारा विभागीय जाँच आयुक्त के जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए प्रमाणित आरोपों पर श्री वर्मा से लिखित अभिकथन (द्वितीय कारण पृच्छा) माँगा गया। इस क्रम में श्री वर्मा ने अपना स्पष्टीकरण (दिनांक 29.02.2016 एवं दिनांक 28.03.2016) समर्पित किया।

6. आरोप, प्रपत्र 'क', जाँच प्रतिवेदन एवं श्री वर्मा के लिखित अभिकथन की समीक्षा के उपरान्त निम्न स्थिति पाया गयी :–

(क) अररिया जिला के चार विधान सभा क्षेत्रों यथा अररिया, जोकिहाट, रानीगंज एवं फारबिसगंज में विधायक मद से कुल 36 हाई मास्ट लाईट के अधिष्ठापन हेतु कार्यकारी एजेन्सी के चयन एवं भुगतान में हुई अनियमितता के इस मामले में कुल राशि रूपये 1,58,11,200.00 (एक करोड़ अन्ठावन लाख ग्यारह हजार दो सौ रूपये) के राजस्व की क्षति निहित है।

(ख) वस्तुतः कुल स्वीकृत राशि के विरूद्ध दो किस्तों में ₹1,58,11,200.00 (एक करोड़ अन्ठावन लाख ग्यारह हजार दो सौ) रूपये राशि विमुक्त किये जाने के बावजूद कार्यकारी एजेन्सी द्वारा एक भी हाई मास्ट लाईट अधिष्ठापित नहीं किये जाने के कारण उनके विरूद्ध प्राथमिकी (485/2009, दिनांक 19.10.2009) भी दर्ज हुआ।

(ग) उक्त योजना में हुई अनियमितता का संज्ञान भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा भी लेखा परीक्षा (सिविल) वर्ष–2009–10 की प्रस्तावित कंडिका 2.4.1 के रूप में लिया गया।

(घ) उक्त योजना में गबन की गयी राशि की वसूली संबंधित कार्यकारी एजेन्सी से करने हेतु निलाम पत्र वाद दायर हुआ।

7. वस्तुतः तत्कालीन उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, अररिया के पद पर पदस्थापन के दौरान श्री वर्मा ने बिहार वित्त नियमावली में विहित प्रावधानों की अनदेखी करते हुए निजी संस्थान को कार्यकारी एजेन्सी के रूप में चयनियत किया तथा बिना बैंक गारन्टी लिए ही उन्हें अग्रिम भी दे दिया। अग्रिम की सीमा भी निर्धारित मापदंड से काफी ज्यादा थी। जाँच पदाधिकारी ने निविदा की प्रक्रिया एवं कार्यकारी एजेन्सी के चयन को त्रुटिपूर्ण तथा बिना निविदा के कार्यादेश निर्गत करने संबंधी श्री वर्मा के कृत्य को गलत माना है। कुल स्वीकृत योजना में से एक भी योजना पूर्ण नहीं हुई तथा उसके एकरारनामा की अवधि समाप्त होने के बाद भी लम्बी अवधि तक आरोपित पदाधिकारी उक्त पदस्थापन पर यथावत रहे। इस आधार पर योजना के पर्यवेक्षण एवं संबंधित कार्यकारी एजेन्सी से अग्रिम राशि की वसूली में श्री वर्मा द्वारा लापरवाही बरतने का आरोप प्रमाणित पाया गया।

8. श्री वर्मा ने अपने लिखित अभिकथन में भी सभी योजनाओं के अपूर्ण रहने एवं एक भी हाई मास्ट लाईट के क्रियाशील नहीं होने के संबंध में समुचित एवं तथ्यात्मक रूप से स्थिति स्पष्ट नहीं की है। योजना की स्वीकृति से लेकर इसके कार्यान्वयन तक बरती गयी अनियमितता पर जाँच पदाधिकारी द्वारा जो आरोप प्रमाणित बताया गया उसके बचाव में श्री वर्मा ने अपने लिखित अभिकथन में कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है। अपितु इस संबंध में पुनः प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियां से योजनाओं की जाँच कराने की माँग की है।

9. वर्णित स्थिति में श्री वर्मा का लिखित अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरांत राजस्व की बड़ी क्षति से संबंधित आरोपों की प्रमाणिकता के आधार पर बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी०) के तहत उनके पेंशन से 75 प्रतिशत की कटौती करने का विनिश्चय किया गया। विभागीय पत्रांक–7993, दिनांक 03.06.2016 द्वारा उनके पेंशन से कटौती के विनिश्चय पर बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति माँगी गयी। इस क्रम में बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने पत्रांक–1836, दिनांक 20.09.2016 द्वारा उक्त विनिश्चय पर आयोग की पूर्ण पीठ की बैठक में दी गई सहमति संसूचित की है।

10. अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली–1950 के नियम–43 (बी०) के तहत सम्यक् विचारोपरांत श्री उमेश कुमार वर्मा, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–144/08, 23/11, (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के पेंशन से निम्नरूपेण कटौती करने का निर्णय लिया जाता है :–

(क) पेंशन से 75 (पचहत्तर) प्रतिशत कटौती स्थायी रूप से।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1036–571+10–डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in